संख्या-1129/78-1-2020-25/2012

प्रेषक,

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त राजकीय एवं निजी प्रौद्योगिकी/प्रबन्धन/शोध एवं विकास संस्थान/संगठन/महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त उद्योग संघ, उत्तर प्रदेश।
5- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित उत्तर प्रदेश स्थित इन्क्यूबेटर्स।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 18 अगस्त 2020

विषयः उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 के बिन्दु 9.1 इन्क्यूबेटर्स हेतु प्रोत्साहन तथा बिन्दु 9.3 स्टार्ट-अप्स हेतु प्रोत्साहन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-813/78-1-2020-25/2012 दिनांक 15 जुलाई 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 अधिसूचित की गई है।

2- उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 के बिन्दु 9.1 में इन्क्यूबेटर्स हेतु प्रोत्साहन की निम्नवत् व्यवस्था हैः-

9.1 इन्क्यूबेटर्स हेतु प्रोत्साहन

(i) पूंजीगत अनुदान

निजी क्षेत्र के मेजबान संस्थानों को प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना/क्षमता विस्तार के लिए रु0 1.00 (एक) करोड़ की अधिकतम सीमा के अधीन, पात्र राशि के 50 प्रतिशत तक पूंजीगत अनुदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी एवं प्रथम किश्त अधिकतम सीमा के 25 प्रतिशत तक होगी। पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में स्थापित इन्क्यूबेटर्स के लिए रु0 1.00 करोड़ की सीमा बढ़कर रु0 1.25 करोड़ हो जायेगी।

(ii) **परिचालन व्यय**

इन्क्यूबेटर्स को परिचालन व्ययों की पूर्ति हेतु 05 वर्ष की अवधि अथवा स्व-निर्भर होने तक, जो भी पहले हो, अधिकतम रू0 30 लाख प्रतिवर्ष तक की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी। यह प्रोत्साहन उन इन्क्यूबेटर्स को दिया जायेगा जिनके पास 10 अथवा अधिक स्टार्टअप इन्क्यूबेटर्स हैं।

(iii) एक्सीलेरेशन कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप्स को सहयोग देने के लिए कम से कम 10 स्टार्टअप द्वारा प्रतिभाग वाले एक्सीलेरेशन कार्यक्रमों के संचालन हेतु सक्षम संस्थानों (प्रतिवर्ष अधिकतम 25 संस्थानं) को प्रति वर्ष रू0 5 लाख (प्रति कार्यक्रम अधिकतम रू0 2 लाख) तक का मैचिंग अनुदान दिया जायेगा तथा नीति के अन्तर्गत प्रति वर्ष अधिकतम 100 कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। भारत सरकार/ उ0प्र0 सरकार द्वारा सहायतित इन्क्यूबेटर्स, सेबी/बैंकों द्वारा पंजीकृत एन्जेल निवेशक अथवा प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान इस प्रयोजन हेतु सक्षम संस्थान होंगे। पीआईयू की संस्तुति पर पीएमआईसी द्वारा, लाभान्वित संस्थानों की कुल संख्या की सीमा में शिथिलता दी जा सकती है।

(iv) वार्षिक इन्क्यूबेटर रैंकिंग्स (Annual Incubator Rankings)

राज्य स्तरीय वार्षिक इन्क्यूबेटर रैंकिंग निरूपित की जायेगी तथा प्रति वर्ष 3 शीर्ष कार्यप्रदर्शन करने वाले विजेता, प्रथम उप-विजेता तथा द्वितीय उप-विजेता को क्रमशः रू0 3 लाख, 2 लाख तथा 1 लाख का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

(v) नवरत्न इन्क्यूबेटर्स

इन्क्यूबेशन क्षमताओं के विकास/वृद्धि के लिए मेजबान संस्थानों/इन्क्यूबेटर्स का सहयोग करने के लिए किये गये व्ययों के लिए सभी चिन्हित नवरत्न इन्क्यूबेटर्स को प्रतिवर्ष रू0 10 लाख का प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

3- उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 के बिन्दु 9.3 में स्टार्टअप्स हेतु प्रोत्साहन की निम्नवत् व्यवस्था हैः-

(i) भरण-पोषण भत्ता (Sustenance allowance)

परिकल्पना स्तर पर प्रति इन्क्यूबेटर 10 स्टार्टअप्स तक, प्रति स्टार्टअप एक वर्ष तक रू0 15,000/- प्रतिमाह का भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जायेगा। यह प्रोत्साहन केवल उन्हीं स्टार्टअप संस्थापकों को दिया जायेगा जो आर्थिक रूप से जरूरतमंद हैं।

(ii) सीड कैपिटल/विपणन सहायता (Marketing assistance)

स्टार्ट-अप्स को बाजार में न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद आरम्भ करने के लिए प्रति स्टार्टअप रु0 5 लाख तक प्रति इन्क्यूबेटर 10 स्टार्टअप तक की सीड कैपिटल सहायता प्रति वर्ष विपणन सहायता के रूप में दी जायेगी।

अभ्युक्तिः महिलाओं/दिव्यांगजन/ट्रांसजेन्डर्स द्वारा स्थापित/सह-स्थापित स्टार्टअप्स अथवा 50 प्रतिशत अथवा अधिक महिला/दिव्यांगजन कर्मियों वाले स्टार्टअप्स अथवा पूर्वान्चल/ बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय/परिचालन वाले स्टार्टअप्स अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों द्वारा स्थापित/सह-स्थापित स्टार्टअप्स को अतिरिक्त 50 प्रतिशत भरण-पोषण तथा विपणन सहायता, दोनों प्रदान की जायेगी।

(iii) पेटेन्ट फाइलिंग लागत (Patent Filling cost)

सफल पेटेन्ट्स के लिए पेटेन्ट्स फाइलिंग लागत, घरेलू पेटेन्ट्स हेतु रू0 2 लाख तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट्स हेतु रु0 10 लाख की प्रतिपूर्ति, इन्क्यूबेट हुए स्टार्टअप्स को की जायेगी।

(iv) आयोजनों में प्रतिभागिता

भारत सरकार द्वारा पंजीकृत तथा उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को आयोजनों में प्रतिभाग हेतु व्ययों की प्रतिपूर्ति - राष्ट्रीय आयोजन में प्रतिभाग हेतु रू0 50,000 तक तथा अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन में प्रतिभाग हेतु रू0 1.00 लाख तक की जा सकती है।

4- प्रोत्साहनों की प्राप्ति हेतु पात्रता तथा आवेदन प्रक्रिया

4.1 इन्क्यूबेटर्स हेतु मेजबान संस्थानों की पात्रता तथा आवेदन प्रक्रिया

4.1.1 इस नीति के अन्तर्गत मान्यता तथा प्रोत्साहनों की प्राप्ति के लिए इन्क्यूबेटर्स द्वारा अपना आवेदन स्टार्ट-इन-यूपी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टार्टअप नोडल एजेन्सी को प्रस्तुत किया जाएगा।

4.1.2 इन्क्यूबेटर मान्यता आवेदन तथा उनके विद्यमान कार्य-प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु नीति के प्राविधानों के अन्तर्गत विस्तृत दिशा निर्देश नोडल एजेन्सी द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4.1.3 शासकीय मेजबान संस्थान पूंजीगत अनुदान पाने के लिए पात्र नहीं होंगे, तथापि इस नीति में उल्लिखित, इन्क्यूबेटर्स से सम्बन्धित अन्य समस्त प्राविधान उन पर लागू होंगे तथा पूंजीगत सहायता नहीं प्राप्त होने के बावजूद मान्यता प्राप्त शासकीय इन्क्यूबेटर्स,

स्टार्टअप नोडल एजेन्सी की ओर से स्टार्टअप्स से प्रथम सम्पर्क बिन्दु के रूप में कार्य करते रहेंगे।

4.1.4 अपवादस्वरूप मामलों में शासकीय मेजबान संस्थानों को पूंजीगत अनुदान केवल पीएमआईसी के अनुमोदन से प्रदान किया जाएगा।

4.1.5 मेजबान संस्थानों/इन्क्यूबेटर्स द्वारा प्रोत्साहनों की मांग त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत की जाएगी।

4.1.6 संस्थान द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों का कार्यदायी संस्था द्वारा परीक्षण किया जायेगा। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी।

4.1.7 संस्थान द्वारा आवेदन पत्र और/अथवा उसके साथ संलग्न दस्तावेजों में दी गयी सूचना अपूर्ण होने की स्थिति में कार्यदायी संस्था द्वारा संस्थान से स्थिति स्पष्ट करायी जा सकती है अथवा अतिरिक्त सूचनाओं/विवरण की मांग की जा सकती है। कार्यदायी संस्था द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण व अतिरिक्त अभिलेखों आदि को संस्थान द्वारा कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

4.1.8 कार्यदायी संस्था द्वारा, प्रस्तुत आवेदन के परीक्षण/सत्यापन के उपरान्त संस्थान को अनुदान दिये जाने हेतु अपनी संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी जिसके द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

4.1.9 सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त संस्थान को अनुदान की स्वीकृति विषयक आदेश निर्गत किया जायेगा। मेजबान संस्थान को स्वीकृत धनराशि एवं तत्सम्बन्धी नियमों एवं शर्तों से अवगत कराया जायेगा।

4.1.10 संस्था को स्वीकृत/अनुमोदित प्रोत्साहन राशि की 25 प्रतिशत धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अग्रिम उपलब्ध कराई जाएगी। अनुदान की अगली किश्त प्रथम किश्त की धनराशि का सदुपयोग होने के पश्चात ही अवमुक्त की जाएगी।

4.1.11 अवमुक्त धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका सत्यापन कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से किया जायेगा।

4.1.12 मेजबान संस्थानों/इन्क्यूबेटर्स की मान्यता तथा वर्ष-प्रति-वर्ष प्रोत्साहनों की निरन्तरता, उनके कार्य-प्रदर्शन पर निर्भर करेगी जिसका मूल्यांकन नोडल एजेन्सी द्वारा जारी और पीएमआईसी द्वारा अनुमोदित इन्क्यूबेटर कार्य-प्रदर्शन मूल्यांकन फ्रेमवर्क के माध्यम से किया जायेगा।

4.2 स्टार्टअप्स की पात्रता तथा आवेदन प्रक्रिया

4.2.1 अभिनव विचार/अवधारणा वाला उत्तर प्रदेश में निगमित स्टार्टअप इस नीति के तहत सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा और ऐसे स्टार्टअप को स्टार्टअप इण्डिया कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

4.2.2 स्टार्टअप्स, इन्क्यूबेशन हेतु अपना आवेदन, विस्तृत व्यवसाय योजना सहित शासकीय मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर्स को प्रस्तुत करेंगे।

4.2.3 भरण-पोषण भत्ते के लिए जरूरतमंद स्टार्टअप की पहचान करने के लिए मापदण्ड को पीएमआईसी द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

4.2.4 इन्क्यूबेटर्स द्वारा स्टार्टअप की ओर से प्रस्ताव, आवेदन की मूल्यांकन आख्या, इन्क्यूबेशन प्रमाण-पत्र तथा वित्तीय सहायता हेतु संस्तुति सहित अनुरोध पत्र संलग्न करते हुए स्टार्टअप नोडल एजेन्सी को प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन पत्रों के मूल्यांकन हेतु मानको का निर्धारण नोडल एजेन्सी द्वारा नीति अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन समिति (पी0एम0आई0सी0) से विचार विमर्श कर सभी चिन्हित इन्क्यूबेटर्स को स्टार्ट-अप्स द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के मूल्यांकन हेतु वितरित किये जायेंगे।

4.2.5 इन्क्यूबेटर्स द्वारा स्टार्टअप्स को अनुदान हेतु संस्तुत प्रस्तावों का मूल्यांकन नोडल एजेन्सी के स्तर पर गठित एक मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। तदनन्तर नोडल एजेन्सी द्वारा अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए नीति कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) को प्रस्तुत किया जायेगा।

4.2.6 नीति कार्यान्वयन इकाई के अनुमोदन उपरान्त वित्तीय प्रोत्साहन का संवितरण सीधे स्टार्टअप के बैंक खाते में किया जायेगा।

4.2.7 भरण-पोषण भत्ते का भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा।

4.2.8 सीड कैपिटल का संवितरण माइलस्टोन के आधार पर (यथा 40प्रतिशत+30प्रतिशत+30प्रतिशत) तीन बार में किया जायेगा, जिसमें पहला अग्रिम के रूप में तथा शेष दो का संवितरण माइलस्टोन पूर्ण होने पर किया जायेगा।

4.2.9 प्रथम किश्त संवितरण के समय स्टार्टअप्स द्वारा पीआईयू को अपने कार्य-प्रदर्शन लक्ष्य की वचनबद्वता सूचित करना होगा जिसके आधार पर अनुदान की आगामी किश्तें अवमुक्त किए जाने पर पीआईयू द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

5- मेजबान संस्थानों तथा स्टार्टअप इकाइयों के दायित्व

प्रोत्साहन धनराशि की प्राप्ति के लिए पात्र मेजबान संस्थानों/स्टार्टअप इकाइयों द्वारा उन सभी अनुबन्धों तथा अभिलेखों को निष्पादित किया जायेगा, जो आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के मतानुसार आवश्यक हो। वह सभी सूचनायें कार्यदायी संस्था/पी.आई.यू./आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी, जो उनके द्वारा अपेक्षा की जाये।

6- न्यायालय का क्षेत्राधिकार

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

7- प्रोत्साहन अनुदान निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड

मेजबान संस्थानों/स्टार्टअप इकाइयों द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि उनके द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी गई धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित प्राप्त की जायेगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूल की जायेगी साथ ही उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

8- शब्दावली

उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 के अन्तर्गत स्टार्ट-अप्स, इनक्यूबेटर्स आदि की परिभाषा में स्पष्टता के उद्देश्य से निम्नवत् शब्दावली का प्रचलन किया जाएगाः-

1. स्टार्टअप (Start-ups)

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या जीएसआर 364(अ) दिनांक 11 अप्रैल 2018 के अतिक्रमण में जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 34(अ) दिनांक 16 जनवरी 2019 द्वारा संशोधित अधिसूचना तथा जैसाकि समय-समय पर संशोधित किया जाये, किसी एनटिटि को निम्नानुसार स्टार्ट-अप माना जायेगाः

i) निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से दस वर्ष की अवधि तक, यदि वह भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित) के रूप में निगमित हो अथवा एक भागीदार फर्म (भागीदार अधिनियम 1932 की धारा 59 के तहत पंजीकृत) के रूप में पंजीकृत हो अथवा एक सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत) के रूप में पंजीकृत हो।

ii) निगमीकरण/पंजीकरण के समय से किसी भी वित्तीय वर्ष में एनटिटि का कुल कारोबार सौ करोड़ रूपये से अधिक न हो।

iii) यदि यह उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के अभिनवीकरण, विकास या सुधार के संबंध में कार्य कर रही है अथवा यह रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च संभावना वाला एक स्केलेबल व्यावसायिक माडल है।

पहले से ही मौजूद किसी व्यवसाय के विभाजन या उसके पुनर्निमाण के माध्यम से बनायी गयी किसी एनटिटि को 'स्टार्टअप' नहीं माना जाएगा।

2. इन्क्यूबेटर्स (Incubators)

इन्क्यूबेटर्स (नवउद्यमी उत्प्रेरक केन्द्र) स्टार्टअप्स को प्लग एण्ड प्ले सुविधायें, बैठक/सभाकक्ष/कार्यालय स्थान तथा साझा प्रशासनिक सेवायें, उच्च गति इन्टरनेट सुविधा इत्यादि प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होंगे। इन्क्यूबेटर्स मेन्टर्स, प्रशिक्षण, वित्तपोषण, विधिक सेवायें, लेखा सेवायें, तकनीकी सहायता, उच्चतर शैक्षणिक संसाधन इत्यादि जैसी यथासम्भव सेवायें राज्य/केन्द्रीय सरकार के सहयोग से स्टार्टअप्स को उपलब्ध करायेंगे।

3. मेजबान संस्थान (Host Institutes)

मेजबान संस्थान राज्य के प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी, प्रबन्धन और अनुसंधान एवं विकास संस्थान, अन्य संगठन हैं जो राज्य में स्टार्टअप ईकोसिस्टम को सुदृढ़ता

प्रदान करने के लिए इन्क्यूबेटर्स और एक्सीलेरेटर्स स्थापित करने के लिए उद्यमशीलता के विकास और संवर्द्धन पर ध्यान केन्द्रित करते हैं।

4. एक्सीलेरेशन कार्यक्रम (Acceleration Program)

एक्सीलेरेशन कार्यक्रम, परिकल्पना के एक बार बाजार में औपचारिक उत्पाद के रूप में आरम्भ हो जाने के पश्चात, स्टार्टअप्स को उनके व्यापार विस्तार हेतु सहायता के लिए लघु से मध्यम अवधि के मेन्टरिंग कार्यक्रम हैं। स्टार्टअप्स, सामान्यतया कम्पनियों के एक समूह के हिस्से के रूप में एक निश्चित अवधि के लिए एक्सीलेरेशन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं।

5. वेन्चर कैपिटल फण्ड (Venture Capital Fund)

ऐसे निवेश कोष जो निवेशकों से सुदृढ़ विकास सम्भावनाओं के साथ स्टार्टअप में अंशपूंजी हिस्सेदारी (Equity Stake) की मांग करते हैं। इन निवेशों को सामान्यतः उच्च-जोखिम/ उच्च-प्रतिलाभ के अवसरों के रूप में जाना जाता है।

6. वैकल्पिक निवेश निधि (Alternate Investment Funds)

वैकल्पिक निवेश निधि एक ऐसे निवेश को सन्दर्भित करता है जो निवेश के पारम्परिक मार्गों जैसे स्टॉक, ऋण प्रतिभूतियों इत्यादि से भिन्न होता है। इन निधियों में पूल्ड इन्वेस्टमेण्ट फण्ड सम्मिलित हैं जो वेन्चर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, हेज्ड फण्ड, मैनेज्ड फ्यूचर्स में निवेश करते हैं।

7. एन्जेल इन्वेस्टर्स (Angel Investors)

ऐसे निवेशक जो लघु स्टार्टअप्स अथवा उद्यमियों को प्रारम्भिक चरण में सीड फण्डिंग प्रदान करते हैं। एन्जेल इन्वेस्टर्स को सेबी अथवा बैंकों अथवा उत्तर प्रदेश सरकार/भारत सरकार द्वारा अनुमोदित इन्क्यूबेशन केन्द्रों के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

9- नोडल एजेंसी द्वारा नीति के अन्तर्गत समस्त प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-1129(1)/78-1-2020 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।

3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।

6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।

7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश।

8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उ0प्र0 शासन।

9- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।

10- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम, उ0प्र0 शासन।

11- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन,उ0प्र0 शासन।

12- प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

13- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं नगरीय विकास विभाग को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ, सभी विकास प्राधिकरणों एवं उ0प्र0 आवास विकास परिषद को अपने स्तर से भी परिचालित करने का कष्ट करें।

14- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

15- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

16- कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।

17- औद्योगिक विकास शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।

18- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।

19- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, यूपीडेस्को, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0, श्रीट्रान इण्डिया लि0, लखनऊ।

20- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बराती लाल)
संयुक्त सचिव